पटना में दिनांक–22 अक्टूबर, 2014 बुधवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

1. बिहार राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिकों के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु "बिहार प्रोबेशन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर जन–निजी भागीदारी के अंतर्गत समेकित ठोस अपशिष्ट उर्जा प्रसंस्करण सुविधा एवं वैज्ञानिक भूमि भराव हेतु प्लांट के निर्माण, कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन की प्रशासनिक स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन–निजी भागीदारी पर आधारित एल० सेक्टर, कंकड़बाग अवस्थित 1.41 एकड़ भूखंड के स्थान पर 1.70 एकड़ भूखंड एवं हनुमाननगर अवस्थित 0.5463 एकड़ भूखंड पर व्यवसायिक परियोजना के लिए चुने गये डेवलपर को परियोजना अवार्ड करने पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4. 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय के प्रावधान में संशोधन के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

5. बुनकर ऋण माफी योजना के अन्तर्गत रूपया 5.00 लाख से ऊपर के ऋणी विद्युतकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों को योजना में शामिल करते हुए सरकार के द्वारा रूपया 5.00 लाख तक की मूल ऋण राशि से बैंकों को प्रतिपूर्ति करने से संबंधित प्रस्ताव पर योजना में संशोधन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 5. स्वीकृत।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर–योजनान्तर्गत बिहार पुराविद् परिषद् पटना को ₹ 1,50,000/–रू० (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

7. चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घटक योजना के तहत नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन हेतु कुल ₹ 1472.59 लाख (चौहद करोड़ बहत्तर लाख उनसठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नवादा जिलान्तर्गत ककोलत जलप्रपात के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वन विभाग की 12.30 एकड़ भूमि अपयोजन (भूमि विवरणी–अनुलग्नक–I) के समतुल्य अंचल–गोविन्दपुर, मौजा–एकतारा एवं कुतरूचक स्थित 12.30 एकड़ भूमि (विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) वानिकी कार्य हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. बिहार राज्यान्तर्गत पटना जिले के बिहटा में निजी क्षेत्र में अमीटी विश्वविद्यालय (Amity University) की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

10. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

कृषि विभाग

11. श्री विपिन कुमार, (बिहार कृषि सेवा कोटि–9 वर्ग–2) तत्कालीन जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, दरभंगा–सह–प्रभारी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति निलंबित को अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा गठित धवादल (ट्रैपदल) द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

कृषि विभाग

12. बिहार कृषि सेवा कोटि–3 (रसायन) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. गैर मजरूआ मालिक/सरकारी भूमि/बकाश्त भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में समेकित नीति की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय हेतु 101 अमीन के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 में रैयती भूमि का क्रय 20,000 रूपये प्रति 03 डिसमिल की अधिसीमा के स्थान पर न्यूनतम मूल्य दर (MVR) के आधार पर करने से संबंधित प्रावधान नीति की कंडिका–5 (क) एवं (ख) के स्थान पर अन्तःस्थापित करने तथा वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के सर्वेक्षण हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध में 10% राशि का प्रावधान कंडिका–6 (घ) (vi) के रूप में अलग से अन्तःस्थापित करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, राज्य के समस्तीपुर, सारण (छपरा) एवं पूर्णियाँ जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए "मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MoU) हस्ताक्षरित करने की अनुमति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के डी०एन०बी० (कार्डियोलॉजी) के छात्रों को राज्य के पी०जी० छात्रों के समतुल्य स्टाईपेण्ड/छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

18. औरंगाबाद जिला के नवीनगर थानान्तर्गत ग्राम बड़ेम में ओ०पी० की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु कुल 22 (बाईस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. यू०जी०सी० के द्वारा नवमी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पटना विश्वविद्यालय, पटना के लिए दो नये विभागों यथा –बायोकेमेस्ट्री तथा रूरल स्टडीज के लिये स्वीकृत किये गये प्रोफेसर के 02, पद एसोसिएट प्रोफेसर के 02 पद तथा सहायक प्रोफेसर के 02 पद अर्थात कुल 06 पदों का वित्तीय भार चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 से लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु रू० 4,00,00,000/-(चार करोड़ रूपये) मात्र एवं कॉरपस फण्ड निर्माण हेतु 1,50,00,000/-(एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रूपये 5,50,00,000/-(पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — **20. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. श्रीमती शिवसखी दूबे, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय महुआंव, भोजपुर के 05 सहायक शिक्षक एवं 02 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा की मान्यता प्रदान करने तथा 04 सहायक शिक्षक का दावा निर्धारित मानक के अधीन नही होने के आधार पर सेवा की मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जन सहयोग से प्राप्त भूमि के दानकर्त्ता/उनके इच्छित व्यक्ति के नाम से विद्यालय का नामाकरण करने की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

23. राज्य के माध्यमिक विद्यालयों (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों) में नियत वेतन पर नियोजित पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए यू०टी०आई० के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली "U.T.I. retirement benefit pension fund" स्कीम की स्वीकृति। — **23. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

24. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्तगी" के दंड की स्वीकृति के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

25. श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रभारी सहायक निदेशक (निलंबित) खान एवं भूतत्व विभाग, गया को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

26. बिहार राज्यान्तर्गत वन भूमि, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्त्व के क्षेत्रों में खनन्-पट्टा प्रतिबंधित करने के संबंध में। — **26. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

27.	श्री शम्भु प्रसाद साहू, तत्कालीन प्रभारी सहायक निदेशक (निलंबित) खान एवं भूतत्व, गया की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।	27.	स्वीकृत।